

क्रमांक/समग्र/2017/54/126

भोपाल दिनांक 06/04/2017

प्रति,

समस्त कलेक्टर

मध्यप्रदेश।

विषय :- समग्र पेंशन पोर्टल पर प्रथमदृष्ट्या पात्र व्यक्तियों को पेंशन योजनाओं का लाभ समय-सीमा में प्रदाय करने बावत।

संदर्भ :- पत्र क्रमांक/समग्र/2014/67/346 भोपाल, दिनांक 23.7.2014

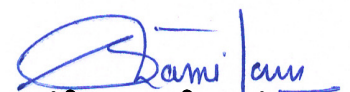
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रतानुसार वृद्धावस्था, विधवा, निःशक्तजनों के लिए विभिन्न पेंशन योजनाएं संचालित की जाती है। समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त पेंशन योजनाओं का ऑनलाईन क्रियान्वयन एन.आई.सी. मध्यप्रदेश द्वारा विकसित समग्र पेंशन पोर्टल <http://pensions.samagra.gov.in> के माध्यम से किया जा रहा है।

2. समग्र पोर्टल पर दर्ज जानकारी के आधार पर अर्थात् आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, परिवार का बी.पी.एल. स्टेटस, निःशक्तता का स्टेटस व प्रतिशत इत्यादि का विश्लेषण कर मार्च 2017 में पेंशन हेतु प्रथमदृष्ट्या पात्र व्यक्तियों की संख्यात्मक जानकारी ग्राम पंचायतवार ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है।

3. उक्त सूची की विस्तृत जानकारी समस्त ग्राम पंचायत/वार्ड प्रभारी को पेंशन पोर्टल पर लॉगईन उपरांत उपलब्ध कराई गई है, जिसका उनके द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाकर पात्रतानुसार पेंशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर पेंशन का लाभ प्रदाय करने की कार्यवाही 10 अप्रैल 2017 तक की जाना है। (पोर्टल पर की जाने वाली कार्यवाही की विस्तृत प्रक्रिया संलग्न व विडियो क्लिप यू-ट्यूब पर "पेंशन पोर्टल (pensions.samagra.gov.in) पर प्रथमदृष्ट्या पात्र व्यक्तियों की सूची नाम पर उपलब्ध" के नाम से उपलब्ध कराया गया है)

4. अतः उपरोक्तानुसार समय-सीमा का पालन करते हुये अपने अधिनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को पेंशन पोर्टल से प्राप्त सूची का परीक्षण कर पात्र पाये गये व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृति एवं जानकारी गलत होने पर सुधार किये जाये हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(संलग्न : उपरोक्तानुसार)



(नीलम शमी राव)

आयुक्त,

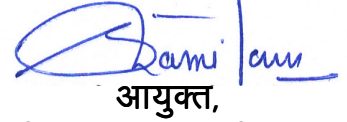
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/समग्र/2017/54/127

भोपाल, दिनांक /04/2017

प्रतिलिपी :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
3. मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन, मध्यप्रदेश।
4. श्री सुनील जैन, तकनीकी संचालक, एन.आई.सी., मध्यप्रदेश।
5. संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. समस्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी. म.प्र.।

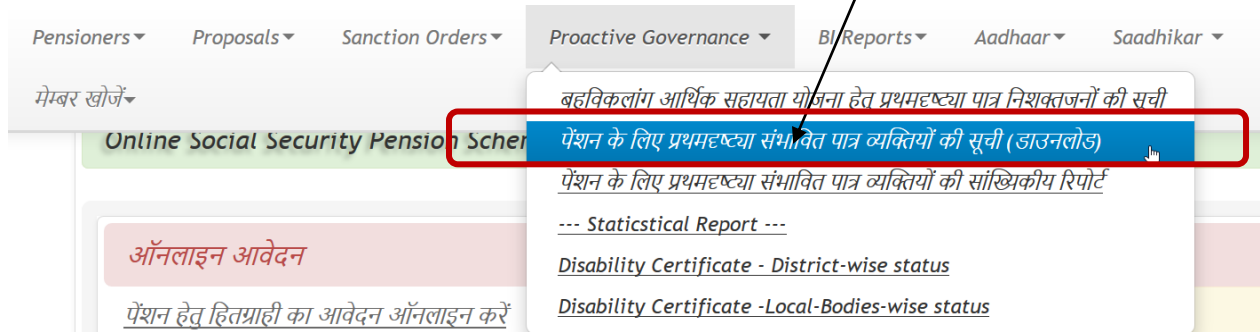


आयुक्त,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण, मध्यप्रदेश

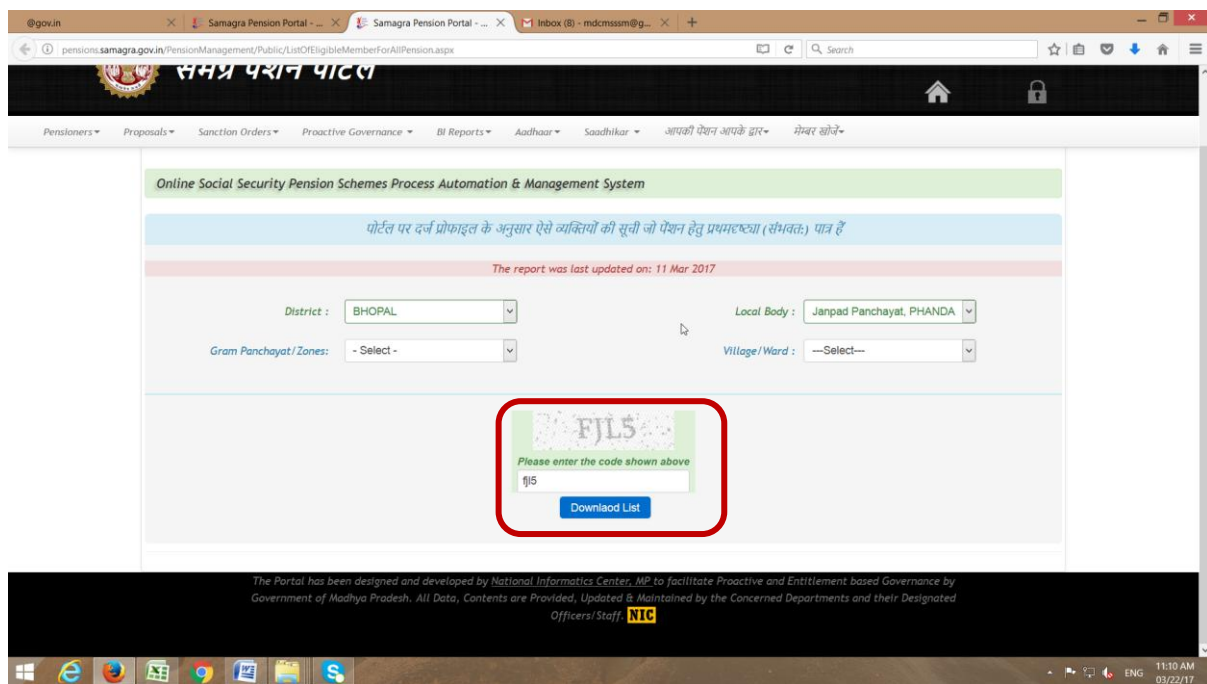
पेंशन पोर्टल पर समग्र पोर्टल पर दर्ज प्रोफाइल के अनुसार प्रथमदृष्ट्या पात्र व्यक्तियों की सूची को देखने की प्रक्रिया

सर्वप्रथम पेंशन पोर्टल पर संबंधित जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत लॉगईन करेंगे ।

लॉगईन उपरांत Proactive Governance Menu पर जाकर पेंशन के लिए **प्रथमदृष्ट्या संभावित पात्र व्यक्तियों की सूची (डाउनलोड)** करे Menu पर क्लिक करें।



सुविधानुसार ग्राम पंचायत / ग्राम का चयन करें अथवा समस्त ग्राम पंचायत में पात्र व्यक्तियों की सूची को प्राप्त करने हेतु बिना किसी ग्राम पंचायत को चयन करें CAPTCHA दर्ज करें Download List बटन पर क्लिक करें।



सूची एक्सेल फाईल में डाउनलोड हो जायेगी।

उक्त सूची को ग्राम पंचायत सचिव द्वारा भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाये तथा जो व्यक्ति योजना हेतु पात्र है उन्हें पेंशन स्वीकृति की कार्यवाही करें व जिन व्यक्तियों की प्रोफाइल को अपडेट करने की आवश्यकता है, उनकी प्रोफाइल को अपडेट करने की कार्यवाही की जाये। साथ ही उक्त सूची में से कितने व्यक्ति अपात्र है व कितने की जानकारी में संशोधन की आवश्यकता है का विश्लेषण कर जानकारी को मिशन कार्यालय को प्रेषित करें।